न्यायालय मुंसिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–101 सन् 2020

जितेन्द्र कुमार सिंह वो अन्य.....वादीगण

बनाम

भगमती देवी वो अन्य .....प्रतिवादीगण।

दिनांक– 06.07.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 39 नियम 1 व धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 04.08.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किय ा गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि वादीगण उपरोक्त मुकदमा खाता नं0 02 सर्वे नं0 775 रकबा 8 कठा 4 धूर के अंश पर दायर किया है जिसका विवरण वादीगण आवेदन के नीचे सिडियुल नं0 01 में दे रहे हैं। तकरारी जमीन 120 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा है जो रास्ता है जिससे वादीगण सड़क से अपने धर आते जाते हैं। प्रतिवादी के उपर न्यायालय से नोटिस हो चुका है और प्रतिवादीगण को उपरोक्त मुकदमा का पूर्ण जानकारी है और मुकदमा के पूर्ण जानकारी के बाद प्रतिवादीगण ता जबरदस्ती वादीगण के रास्ते वाले जमीन पर जल्दी–जल्दी नींव काटकर पीलर एवं दिवाल का निर्माण शुरू कर दिये हैं। उनके द्वारा किया गया कार्य सरासर गैर कानूनी है। तकरारी भूमि के आसपास प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण सामग्री भी इकट्ठा किया गया है। प्रथम दृष्टया मामला वादीगण के पक्ष में है सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है। प्रतिवादीगण द्वारा तकरारी भूमि पर यदि निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो वादीगण को अपार क्षति होगी जिसका पैसा से पूर्ति नहीं किया जा सकता हैं वादीगण द्वारा दाखिल अर्जीदावी का इस आवेदन का अंश समझा जाए। अतः निवेदन है कि पतिवादी को तकरारी भूमि पर कोई निर्माण कार्य करने या तकरारी जमीन का स्वरूप बदलने या तकरारी

जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरण करने से ता फैसला रोक दिया जाए ताकि न्याय हो सके।

प्रतिवादीगण की तरफ से दिनांक 18.08.2021 को कारण पृच्छा दाखिल किया गया है जिसमें उनका कथन है कि वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 04.08.2021 आदेश 39 नियम 1 वो दफा 151 सी0पी0सी0 कानूनी एवं तथ्य दोनों दृष्टिकोणों से चलने लायक नहीं हैं। वादी द्वारा यह वाद मौजा दरियापुर थाना– दरियापुर जिला–सारण खाता नं0 2, खेसरा सं0 775 रकी रकबा, 8 कठा 4 धूर में जानिब पूरबारी अंश उत्तर में दक्षिण तरफ जिसे वह रूप इ0बी0एफ0जी0 से नजरी नक्सा में दिखाया गया है जो उत्तर से दक्षिण 120 फीट वो पुरब से पश्चिम 15 फीट दिखाया गा है पर नाजायज संरचना वो दखल हटा कर रास्ता को हटाने हेतु लाया गया है। वादीगण अपने इंतनाई सवाल के पाराग्राफ नं0 03 में यह दर्ज किया है कि प्रतिवादी न्यायालय से नोटिस हो जाने के बाद से जल्दी–जल्दी नींव काटकर पीलर एवं दिवाल का निर्माण शुरू कर दिए हैं इसलिए तकरारी जमीन पर कोई निर्माण करने या स्वरूप बदलने या दूसरे व्यक्ति से खरीद फरोख्त करने से प्रतिवादीगण को रोक दिया जाए तथा इंतनाई आवेदन में जो जमीन का विवरण दिया है उसमें भी पूरब से पश्चिम पर कुल रकबा में इंतनाई निर्माण पर रोक लगाने हेतु आवेदन दिया है। उल्लेखनीय है कि वादी ने वादपत्र के दादरसी के कॉलम–1 वो 2 में स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रतिवादी वादपत्र के सिडियुल नं0 2 में बढ़कर संरचना बना लिए हैं तथा वादीगण को रास्ता के प्रयोग करने से रोक लगा दिये है। अतः उन्हें आदेश दिया जाए कि वो अपना नाजायज संरचना वो दखल कब्जा हटा ले वो रास्ता को चालू कर दें। वादी वादपत्र में जहां स्वीकार करते है कि तकरारी एराजी में प्रतिवादी का निर्माण हो चुका है वहीं इंतनाई आवेदन के द्वारा तकरारी जमीन निर्माण करने स्वरूप बदलने पर रोक लगावाने हेतु आवेदन दिये हैं जो इस कारण से स्वीकार योग्य नहीं हैं। पूर्व में ही स्वयं वादी प्रतिवादी के निर्माण को

स्वीकार कर उसके खिलाफ वाद लाया है लेकिन इंतनाई के माध्यम से वह रिलीफ प्राप्त करना चाहते हैं जो नियमानुकूल है। वादी का इंतनाई आवेदन बिल्कुल वर्तमान परिस्थिति में अस्पष्ट है, क्योंकि वादी के पास ऐसा कोई साक्ष्य सबूत नहीं है जो यह प्रथम दृष्टया में भी साबित कर सके कि तकरारी संरचना वादी के कथन के अनुसार विवादित है या सड़क की भूमि हैं। वादी ने अपने वादपत्र में जिस आपसी सहमति से रास्ते कायम होने की चर्चा किया है उसका न तो कोई मापी प्रतिवेदन वादी के पास है कि कहां, किसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसके आधार पर भी वादी का आवेदन न तो प्रथम दृष्टया मे है न ही तुला का संतुलन वादी के पक्ष में है साथ ही इंतनाई नहीं होने से वादी को कोई अपूर्णिय क्षति भी नहीं होने वाली है, क्योंकि वादी अपने ही बयान के अनुसार तकरारी एराजी पर न तो इनका दखल कब्जा है न ही इनका स्वमित्व है। प्रतिवादी उक्त भूमि की कुल एराजी 8 कठा 4 धूर के आधे के हिस्सेदार है तथा आपसी सहमति से प्रतिवादी ने अपने भूमि से रास्ता हेतु दस फीट से 15 फीट के बीच छोड़ रखा है। जबकि वादी स्वयं अपने हिस्से की एराजी 4 कठा 2 धूर में अतिक्रमण कर लिया है जिसके संबंध में प्रतिवादी ने अपने बयान तहरीरी सह काउण्ट क्लेम में विस्तृत रूप से वर्णन किया है तथा जब गांव वो समाज के लोगों ने वादी के गैर कानूनी हरकत के विषय में बैठक करके समझाया तो वादी ने उल्टे प्रतिवादी पर दबाव बनाने हेतु यह वाद दाखिल कर दिया है। वस्तुतः वादी के इंतनाई आवेदन को स्वीकार करने के वर्तमान परिस्थिति में प्रतिवादीगण को अपूर्णिय क्षति होगा, क्योंकि तला का संतुलन मनमुदाली के पक्ष में हैं साथ ही वाद भी प्रथम दृष्टया में प्रतिवादी का ही है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के अतिरिक्त दीगर अन्य बातों का खुलासा प्रतिवादीगण बवक्त जाहिर वो साबित होगा। प्रतिवादी के बयान तहरीरी सह काउण्ट क्लेम को भी कारण पृच्छा का अंश माना जाए। अतः निवेदन है कि वादी का दाखिल आवेदन को साथ खर्चा के खारिज किया जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी ने मुकदमा खाता नं0 02 सर्वे नं0 775 रकबा 8 कठा 4 धूर के अंश पर दायर किया है। वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी जबरदस्ती तकरारी भूमि का वादीगण के रास्ते वाले जमीन पर नींव काटकर पीलर एवं दिवाल का निर्माण करना शुरू कर दिया है और निर्माण सामग्री भी इकट्ठा किया गया है। प्रतिवादीगण की ओर से उपरोक्त आवेदन के आलोक में कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। परंतु इस वाद में अधिवक्ता आयुक्त की भी नियुक्ति की गई है जिन्होंने अपने प्रतिवेदन दिनांक 28.09.2021 में प्रतिवेदित किया है कि तकरारी जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है तथा अगल बगल में भी कोई निर्माण सामग्री नहीं पाया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में है साबित नहीं होता है, जिससे इंतनाई नहीं होने से उन्हें अपूर्णिय क्षति होगी। अतः वादीगण की ओर से दाखिल इंतनाई आवेदन दिनांक 04.08.2021 को खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक 27.07.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

मुंसिफ

सोनपुर सारण।